

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 6.1.2022

**::आज्ञा::**

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	महेश कुमार मीना सहायक विधि परामर्शी	निदेशालय, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान एवं राज्य साक्षरता मिशन अधिकरण, जयपुर	संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा उपरान्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु।
2.	मंजूलता मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने हेतु।
3.	गायत्री गुंजल कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक, सामान्य बीमा निधि, जयपुर	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने हेतु।

**शर्त:-**

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव